POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.11.2024

थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अपने बच्चो की हत्या करने वाली अभियुक्ता(बच्चो की माता) गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 22.11.2024 को थाना बादलपुर पर वादी द्वारा दी गई तहरीर पर अभियुक्ता सोनम पत्नी सोनू निवासी खेडा धर्मपुरा, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम परतापुर, थाना पिलुखवा, जिला हापुड़ उम्र 24 करीब वर्ष द्वारा अपने दो बच्चो उम्र 06 वर्ष (लडकी) व उम्र 04 वर्ष (लडका) की गला दबाकर हत्या करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 297/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.11.2024 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लोकल इंटेलिजेंस गोपनीय सूचना की सहायता से उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्ता सोनम उपरोक्त को थाना क्षेत्र के सिद्द बाबा मन्दिर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्ता सोनम उपरोक्त ने साहिल पुत्र आश मोहम्मद निवासी पिलखुवा, थाना पिलखुवा जनपद हापुड से परिवार की बिना अनुमति के घर से भागकर प्रेम विवाह किया था, जिस कारण सोनम का अपने मायके में आना-जाना बंद था। साहिल से अभियुक्ता सोनम उपरोक्त को दो बच्चे उम्र 06 वर्ष (लडकी) व उम्र 04 वर्ष (लडका) पैदा हुए थे। इस दौरान साहिल द्वारा अभियुक्ता के साथ घरेलू बात को लेकर मारपीट की जाती थी। साहिल ने वर्ष 2021 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसके संबंध में मु0अ0सं0 974/2021 थाना मसूरी गाजियाबाद से साहिल जेल गया था। तभी से अभियुक्ता सोनू पुत्र राजवीर निवासी खेडा धर्मपूरा, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर के साथ लिव इन रिलेशन मे रहने लगी। सोनू से अभियुक्ता सोनम को एक लड़का पैदा हुआ था। सोनम द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि साहिल का फोन आया था कि मैं जेल से छुट गया हूँ जिस कारण अभियुक्ता को डर लगने लगा कि साहिल जेल से छुट आया है और कही वह मुझे व मेरे बच्चो को परिवार सहित ना मार दे। मैं भी अपनी जिदगी से परेशान हो गयी थी। इसलिए मैने अपने दोनो बच्चो को गला दबाकर मार दिया और मैं भी मरना चाहती थी।

अभियुक्ता का विवरण-- सोनम पत्नी सोनू निवासी किरायेदार संजय शर्मा का मकान, खेडा धर्मपुरा, थाना बादलपुर, कमि0 गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम परतापुर, थाना पिलुखवा, जिला हापुड़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 297/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना बादलपुर, कमि0 गौतमबुद्धनगर।